Issue-12; Vol.01, Sept. 2021 **Impact Factor: 6.003 (I2OR)**
ISSN–2231-1130
●●●●VEETHIKA●●●

नयी सदी की चुनौतियाँ और प्राथमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों में समायोजन

रमाकान्त यादव
शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग
सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज इ वि.वि. प्रयागराज

शोध–सार

शिक्षा मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इससे ही किसी समाज व्यक्ति व राष्ट्र का सर्वांगींण विकास होता है। वास्तव में शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास होता है जिसके लिए वह योग्य होता है जैसे– स्मृति निरिक्षण तर्क समायोजन कल्पना विवेक आदि का विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। किसी भी शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता वहां पर कार्यरत शिक्षकों की गुणवत्ता से परे हो ही नही सकती। अतएव शिक्षकों में समायोजन एक तरह से सभी क्षेत्रों के लिए मानव शक्ति तैयार करने वाले राष्ट्र–निर्माता, यूँ कहें तो वह योग्य नागरिक को तैयार करने वाला एक निर्माता के रूप में भी है। क्योकि एक शिक्षक में जितनी ही अच्छी समायोजन क्षमता होगी वह उतने ही अच्छे तरीके से अपने विद्यालयी परिस्थितियों में छात्रों की ज्ञान वृद्धि में सहायक हो सकता है। नयी सदी के इस परिवर्तनशील व नवाचारी दौर के साथ ही शिक्षा उत्पादों के हितधारी व्यक्तिगत व वैश्विक स्वरूप लिए हुए है। ऐसे में अध्यापकों के सामने अनेक समस्याएं व चुनौतियाँ व्याप्त है। छात्रों की अपेक्षाओं, मागों, वैश्वीकरण का प्रभाव उदारीकरण व निजी स्वामित्व का प्रभाव, कम्प्यूटर आधारित सूचना ज्ञान आदि के प्रभाव के कारण अध्यापक अपने अध्यापन कार्य में दिन–प्रतिदिन अनेकों चुनौतियों का सामना करता है इसलिए एक अध्यापक में समायोजन की क्षमता होना अपेक्षित हो, जो अध्यापक के समायोजन को सतत रूप से समकालीन विद्यालय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप न केवल सबल बनाये बल्कि उसमे प्रभावी अध्यापन व नेतृत्व क्षमता का विकास करने में भी सामर्थ्य हो तभी जाकर समयानुकूल अध्यापक समायोजन क्षमता का अध्यापकों में विकास हो पायेगा।

प्रस्तावना

अध्यापकों में समायोजन क्षमता आज के ज्ञानोंन्मुख समाज व शैक्षिक संस्थानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर रही है नयी सदी के भारत का सर्वांगींण विकास निर्भर करेगा कि इसकी इस पीढ़ी पर जो विभिन्न कौशलों सृजनात्मकता, गतिशीलता, समायोजन, विविधता के अलावा आवश्यक मूल्यों एवं संवेदनशीलता से परिपूर्ण हो। यह सर्वविदित है कि किसी भी देश का विकास उस राष्ट्र की मानवीय शक्ति की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और मानवीय शक्ति की गुणवत्ता वहाँ के शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वर्तमान समय के उभरते हुए भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं वैश्विक आवश्यकताओं को देखते हुए छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देना भी जरुरी है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना पूर्णतः शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर है तथा शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता, व्यावसायिक अभिवृत्ति, समायोजन, कार्य–सन्तुष्टि, शोध आधारित नये–नये विचार एवं सृजनात्मकतापूर्ण प्रभावशाली अध्यापन और पाठ्यक्रमों का कक्षा में सम्प्रेषण पर निर्भर करता है उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति करने में एक अध्यापक के सामने आज बड़ी चुनौतीयाँ है।

प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में प्रशिक्षित अध्यापक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है प्राथमिक स्तर पर दो तरह के प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को चयनित किया जाता है 1. बी.टी. सी. प्रशिक्षण प्राप्तअध्यापक 2. बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक द्य परम्परागत बी.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक प्राथमिक स्तर के अध्यापन कार्य में स्वयं को समायोजित कर लेते है तथा मानसिक

रूप से अपने को तैयार भी कर लेते है ऐसे अध्यापकों में समायोजन का स्तर उच्च होने की संभावना भी अधिक रहती है। परन्तु बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त चयनित अध्यापक अन्य उच्च उपाधि (नेट/जेआरएफ पीएच.डी. एम.एड. आदि) वाले होते है जो उच्च शिक्षण महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करने के योग्य होते है तथा इनकी उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने की संभावना भी रहती है लेकिन बेरोजगारी के कारण शैक्षिक योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं प्राप्त करने के कारण प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु चयनित हो जाते हैं तथा वहाँ पर ये अपने को असमायोजित पाते है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 5.2 में कहा गया है कि केवल उत्कृष्ट विद्यार्थी ही शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश पायें इसके लिए चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रमों को शुरू करने की बात कही गयी है जिससे कि उनमें अध्यापन के क्षेत्र में समायोजन करने में आसानी रहे तथा साथ ही कहा गया है कि अध्यापन व्यवसाय में स्थानीय लोगों को वरीयता दी जायेगी जिससे की बच्चे ऐसे अध्यापकों को अपना रोल माडल मानें। ऐसा करना अपने आप में स्वयं एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 5.3 में कहा गया है कि अत्यधिक शिक्षक हस्तान्तरण पर रोक लगायी जायेगी दोनों चीजें एक साथ सम्भव नही है। क्योंकि सभी को उसके घर के आस–पास ही नियुक्ति मिले ऐसा भी सम्भव नही है।

हमारा सम्पूर्ण जीवन चुनौतियों और संघर्षो से घिरा है। बाल्यावस्था से ही हमें अपने जीवन की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। जो जितना अच्छे ढंग से इस समस्या पर विजय प्राप्त करता है वह उतना ही समायोजित कहा जाता है। एल.एस.शेफर ने समायोजन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है– "समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि से सम्बंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाये रखता है" शेफर ने अपनी इस परिभाषा में समायोजन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परिभाषित करने का प्रयत्न किया। इनके अनुसार कोई व्यक्ति तभी तक समायोजित अनुभव करता है जब तक उसकी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी कोशिशों और परिस्थितियों के बीच संतुलन बना रहे। समायोजन के द्वारा एक ओर तो एक शिक्षक बदली हुयी परिस्थिति के अनुसार अपने को बदलने का प्रयास करता है साथ ही समायोजन एक ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देता है कि हम परिस्थितियों को बदल डाले।

भारतीय सन्दर्भ में देखे तो अध्यापक समायोजन क्षमता प्राथमिक स्तर पर गठित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के होने के बावजूद भी सेवारत अध्यापकों की दशा चिंतनीय है। किसी भी अध्यापक के अस्तित्व व सफलता उस अध्यापक के द्वारा चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पर निर्भर होता है। "चुनौतियाँ" किसी भी अध्यापक की वह पर्यावरण है जिस पर वह अध्यापक नियंत्रण व विजय प्राप्त करना चाहता है। इस परिस्थिति में जहाँ वह नकारात्मक व अवरोधात्मक पर्यावरण को समाप्त करता है तो वहीं वह सकारात्मक पर्यावरण का अनुपालन भी करता है।

21वीं सदी के इस परिदृश्य में यदि हम अध्यापक समायोजन समीक्षाओं और परिणामों सहित उसकी गुण और अवगुण को देखें तो स्पष्ट होगा कि वर्तमान में सार्थक सतत विकास एवं समायोजन को पूर्णता प्रदान करने के लिए ऐसी अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता है जो निजी व वैश्विक मांग के अनुरूप अध्यापकों में समायोजन की क्षमता का विकास कर सके। इस सम्बन्ध में नयी शिक्षा नीति 2020 के पैरा 5.15 में भी स्वीकारा गया है कि– शिक्षक को स्वयं में सुधार करने तथा शिक्षण पेशे में आधुनिक नवाचार व विचार को विकसित करने के लिए सतत अवसर दिये जायेगें। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रत्येकशिक्षक साल में लगभग 50 घंटे सतत

व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लें। जिसमें उन्हें नवीन शिक्षण–शास्त्र, रचनात्मक आँकलन एवं योग्यता आधारित अधिगम आदि में प्रशिक्षित किया जायेगा।

कोठारी कमीशन 1964–66 में भी सिफारिश की गयी है कि– शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अध्यापक होते है अतः इस व्यवसाय में ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित करना चाहिए जो योग्य एवं दक्ष हो तथा वे विभिन्न परिस्थितियों में अपने आपको समायोजित करने वाले हो। शिक्षकों की सामाजिक व आर्थिक स्तर उपर उठाने के लिए शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण कौशलों में उन्नत एवं सुधार की भी बात कही गयी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 1992 में भी स्पष्ट किया गया कि दृ अध्यापक समायोजन एक सतत प्रक्रिया है जो सेवारत अध्यापकों के लिए आवश्यक व प्रेरणादायी होना चाहिए। सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र हमारे समाज की नवीन माँगों के अनुरूप होना चाहिए।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006–09 ने अपने विचारणीय विषय क्षेत्र में कहा था कि 21वीं शताब्दी की ज्ञान व चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक व्यवस्था में उत्कृष्टता का निर्माण करना होगा और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना होगा। अतः इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय में शिक्षक की जबाबदेही बढ़ जाती है। अतः अध्यापकों में 21वीं शताब्दी की परिस्थितियों के अनुसार उनमें समायोजन की क्षमता का विकास होना भी अति आवश्यक है। इसके लिए आयोग ने सुझाव दिया कि सेवापूर्व तथा सेवा कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार हो तथा अध्यापकों को अपने विचारों व अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए बेव आधारित पोर्टल मंच विकसित किये जायें।

एन.सी.टी.ई. ने भी स्वीकार किया है कि अध्यापकों में समायोजन की संकल्पना के विकास के लिए अध्यापकों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। जो यहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक व निरंतरता के आधार पर संविधान में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो तथा व्यावसायिक रूप से सक्षम और समर्पित शिक्षकों का निर्माण करे।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भी यह स्वीकार किया गया कि शिक्षण संस्थान विद्यार्थी व शिक्षकों के अनुभवों को अभिव्यक्त करने का अवसर नही देते हैं जिससे शिक्षकों में एक बदलाव कर्मी की तरह विकास नही हो पाता है और उन्हें समायोजन में समस्या होती है।

उपर्युक्त सन्दर्भों से स्पष्ट होता है कि अध्यापक समायोजन के क्षेत्र में वर्तमान समय में अनेक समस्याएं हैं। इनमें विसंगतियाँ, द्वंद्वात्मक स्थिति और वर्तमान की माँगों के अनुसार बदलाव की जरूरत है। अध्यापकों को आज की परिस्थिति तथा आवश्यकताओं से तदात्म्य बैठाने व स्वयं को इन आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष

यद्यपि स्वतंत्रता से पूर्व ही हमारे यहाँ अध्यापकों के समुन्नत विकास को ध्यान में रखा गया। विभिन्न आयोगों व समितियों द्वारा समय–समय पर इस क्षेत्र में सुधार के सुझाव भी दिये गए। लेकिन इसकी जमीनी वास्तविकता सोचनीय है वर्तमान में अध्यापकों के सामने अध्यापन से सम्बंधित अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही है जो उनके समायोजन के स्तर को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित भी कर रही है जिसके लिए अध्यापकों की वर्तमान सामाजिक माँगों, परिवर्तनों क्रियाओं,अवधारणाओं आदि के प्रति संवेदनशील होकर बहु–अनुशासनिक रूप से सोचने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ऐसे परिवर्तन करने की जरूरत है जो अध्यापकों को अधययन क्षेत्र की सभी चुनौतियों का सामना करने में प्रशिक्षित कर सके। साथ ही समाज की आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को भी इसमें स्थान दिया जाये। अतः इस क्षेत्र के सभी

बदलाव व समाधान प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के बहुलतावादी स्वभाव, अपेक्षाओं, आवश्यकताओं एवं विवशताओं से अलग नही होना चाहिए। इसलिएनयी सदी में प्राथमिक स्तर के अध्यापकों में उनके कार्यों के अनुरूप स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विकता के साथ तालमेल बैठाते हुए आवश्यकता के अनुसार महत्त्व देना होगा। तभी जाकर हम एक दक्ष, गतिशील, उत्तरदायी, समायोजित व संवेदनशील मूल्यों पर आधारित प्राथमिक शिक्षक तैयार कर सकेगें।

शैक्षिक निहितार्थ

भारत सरकार ने 21 वीं शताब्दी के भारत के निर्माण के लिए भारतीय शिक्षा के ढांचे में बदलाव हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है इसमें शिक्षा के ढ़ांचे को पूरी तरह बदल कर 5+3+3+4 को लाया गया है। जिसमें 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज में छात्रों के निर्माण के लिए अध्यापकों का दायित्व बढ़ जाता है ऐसे में शिक्षकों के अन्दर समायोजन क्षमता का विकास करने की भी जरूरत है। जिसके लिए अध्यापकों में शैक्षणिक नवाचार के प्रयोग की क्षमता का विकास करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने सबका ध्यान भी आकर्षित किया है जिससे की शिक्षक इन नवाचारों से अपने अनुभवों को मौलिक रूप से बदल सकेगें तथा 21 वीं सदी की आवश्यकताओं और माँगों के अनुरूप विद्यालय परिस्थिति में खुद को समायोजित कर सकेगें।

सन्दर्भ सूची

1. अग्रवाल, जे.सी. (2009). *रिसेन्ट डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन.* शिप्रा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. एन.सी.टी.ई. (1998). *करिकुलम फ़्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन.* नयी दिल्ली।
3. यादव,एस.के. (2003). *क्वालिटी इम्प्रुमेंट ऑफ़ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम.* यूनिवर्सिटी न्यूज़, ए.आई.यू.नयी दिल्ली, अक्टूबर 2003।
4- एम. एच.आर.डी. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020.* शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।
5- सिंह, अनीता. (2011). *अध्यापक शिक्षा की चुनौतियाँ– एक दृष्टि.* छत्तीसगढ़।